



2026:AHC:25676

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1686 / 2026

बखेरू यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रुद्र प्रताप शुक्ला, सुधांशु कुमार मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री विपिन कुमार को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे दिनांक 01.07.1991 को दैनिक वेतनभोगी कार्य प्रभार कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात, उसे अस्थायी दर्जा प्रदान किया गया और 26.11.2011 को उसकी सेवा की पुष्टि की गई। वह 31.07.2025 को सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसे पेंशन लाभ प्रदान नहीं किए गए।
3. दूसरी ओर, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

5 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"